न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–89 / 2020 प्रार्थना पत्र

1–श्री छैलसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत उम्र वयस्क नि.मालास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
2–श्री महेन्द्रसिह पुत्र भंवरसिंह राजपूत उम्र वयस्क नि.मालास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
3–श्री गुलाबसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत उम्र वयस्क नि.मालास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
––प्रार्थीगण।

:: बनाम ::

1–मदनसिंह पुत्र धूकलसिंह राजपूत उम्र वयस्क नि.मालास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
2–राजमल पुत्र सुवालाल ब्राह्मण उम्र वयस्क नि.मालास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
3–चांदकंवर जोजे मदनसिंह राजपूत उम्र वयस्क नि.मालास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
4–राधेश्याम पुत्र रामचन्द्र ब्राह्मण उम्र वयस्क नि.मालास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
5–बाबूलाल पुत्र रामचन्द्र ब्राह्मण उम्र वयस्क नि.मालास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
6–दुर्गा पुत्री रामचन्द्र ब्राह्मण उम्र वयस्क नि.मालास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
7–कंचन पत्नि रामचन्द्र ब्राह्मण उम्र वयस्क नि.मालास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
8–मोहनलाल पुत्र जमनालाल जाट उम्र वयस्क नि.नाहरगढ पंचायत लेसवा तहसील माण्डल।
9–बैंक ऑफ बड़ौदा जरिये शाखा प्रबंधक महोदय करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
10–एस.बी.बी.जे. जरिये शाखा प्रबंधक महोदय बैमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
11–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा जिला भीलवाड़ा। ———विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र बाबत अंतर्गत धारा 251–ए राज.टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थितः–

1–श्री मुकेशसिंह तंवर	–	अधिवक्ता–प्रार्थीगण।
2–विपक्षीगण	–	एक पक्षीय कार्यवाही।

:: निर्णय :: दिनांकः–02.03.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:14:47 IST
Reason: Self Attested

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए रा0का0अधिनियम विरूद्ध विपक्षीगण पेश किया जिस पर प्रार्थना पत्र बाद रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को उजरदारी पेश करने हेतु न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किया गया।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

विपक्षीगण के सम्मन सम्यक रूप से तामील होकर बाद तामील शामिल फायल है। प्रकरण में प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में विपक्षीगण को बार–बार विधिवत आवाजें लगवाई गई किन्तु विपक्षीगण के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार करेड़ा से मौका जांच रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त की जाकर शामिल फायल की गई।

प्रकरण में प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि ग्राम मालास पटवार हल्का लादूवास।। तहसील करेड़ा के राजस्व रेकार्ड में खाता सं. 168 में आ0नं0 1510/1 रकबा 07 बीघा भूमि प्रार्थीगण के सामलाती खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि पर आने–जाने के लिये आ0नं0 1195 किस्म गै0मु0 रास्ते के बाद आगे कोई रेकार्डशुदा रास्ता मौजूद नहीं है इससे आगे विपक्षी संख्या 01 लगायत 08 के खातेदारी आ0नं0 1509 से होते हुये ही प्रार्थीगण की आराजी पर पहुंचा जा सकता है। प्रार्थीगण की आराजी पर आने–जाने का एकमात्र रास्ता विपक्षी सं. 01 लगायत 08 की खातेदारी भूमि आ0नं0 1509 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा से है जिस पर वर्तमान में आने–जाने के लिये पगडन्डी बनी हुई है। प्रार्थीगण इसी रास्ते का वर्तमान में उपयोग कर रहे है। परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर आने–जाने के लिये तथा कृषि उपकरण ट्रेक्टर, ट्रोली, हल आदि लाने–ले जाने में काफी समस्याओ का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर पहुंचने के लिये आ0नं0 1195 गै0मु0 रास्ते से आगे,विपक्ष्ज्ञी सं0 1 लगायत 08 की खातेदारी आ0नं0 1509 की उत्तरी दिशा में से 25 फीट चौड़े रास्ते की आवश्यकता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजी पर पहुंचने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तथा प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की आन्तयिक आवश्यकता है। इसके लिये प्रार्थीगण, विपक्षीगण को डी.एल.सी. दर से प्रतिकर का भुगतान करने के लिये तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी आ0नं0 1510/1 पर आने–जाने तथा कृषि उपकरण, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु आ0नं0 1195 गै0मु0 रास्ते से आगे, विपक्षी सं. 01 लगायत 08 के खातेदारी आ.नं. 1509 की उत्तरी दिशा में से 25 फीट चौड़ी भूमि को रास्ते के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराते हुये, विपक्षी सं. 01 लगायत 08 के लिये नियमानुसार डी.एल.एस.दर से प्रतिकर रकम का निर्धारण करा, उक्त रास्ते को नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहरीर तहसीलदार के नाम प्रदान करावें।

प्रकरण में प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एक तरफा बहस पर मनन किया। तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की आ0नं0 1510/1 पर आने–जाने का रास्ता विपक्षी सं. 01 लगायत 08 की आ0नं0 1509 मे उत्तरी सीमा के सहारे 16.5 फीट चौड़ाई का बना हुआ है। दोनों तरफ थोहर की बाड़ लगी हुई है जो वर्तमान में मौके पर खुला होकर प्रार्थीगण इसी रास्ते से अपनी आराजी पर आते–जाते है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। वांछित रास्ते को लाल स्याही से नक्शा ट्रेश में प्रस्तावित किया है। प्रार्थी द्वारा रास्ते की 25 फीट चौड़ाई के बजाय 16.5 फीट चौ[illegible] फीट चौड़ाई एवं 40 फीट लम्बाई से रास्ते की भूमि 2 गठ्ठा होती है। इस प्रकार प्रार्थी[illegible] खातेदारी आराजी नं0 1510/1 पर पहुंच मार्ग हेतु विपक्षी सं. 01 लगायत 08 की [illegible] 1509 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 16.5 फीट चौड़ाई एवं 4[illegible] रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज जाना न्यायोचित है। अतएव

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:14:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़ा

:: आदेश ::

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मालास पटवार हल्का लादूवास–।। तहसील करेड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आ0नं0 1510/1 पर आने–जाने के लिये प्रस्तावित नक्शा ट्रेश अनुसार विपक्षी सं. 01 लगायत 08 की खातेदारी आ0नं0 1509 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 16.5 फीट चौड़ाई एवं 40 फीट लम्बाई की भूमि यानि कि 2 गट्ठा भूमि को गै0मु0रास्ते के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने तथा राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। तहसीलदार करेड़ा रास्ते की भूमि के प्रतिकर की राशि का डी.एल.सी दर की दो गुणा से निर्धारण कर प्रतिकर की राशि का उपरोक्त विपक्षी सं. 01 लगायत 08 को भुगतान करे। एवं तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को सरे ईजलाश सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेडा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:14:47 IST
Reason: SelfAttested